भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ

संख्या: 27/रेरा/शिकायत/2017–18, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

कार्यालय आदेश

भू–सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–31 में यह व्यवस्था है कि कोई पीड़ित व्यक्ति, किसी प्रवर्तक, आवंटिती अथवा भू–सम्पदा अभिकर्ता, जैसा मामला हो, के विरूद्ध अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों के किसी अतिक्रमण या अतिलंघन हेतु प्राधिकरण या न्याय निर्णायक अधिकारी, जैसा मामला हो, के समक्ष परिवाद संस्थित कर सकता है।

इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु "व्यक्ति" में आवंटितियों का संघ अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई उपभोक्ता संघ भी समाविष्ट है।

उ.प्र. भू–सम्पदा (नियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 के प्रस्तर–33 में शिकायतों के निस्तारण हेतु व्यवस्था निर्धारित की गयी है। उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) द्वारा शिकायतों के प्राप्त करने हेतु आनलाईन व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत शिकायतकर्ता द्वारा फार्म–M में अपनी शिकायत रेरा को प्रेषित की जा सकती है। रेरा में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की विस्तृत बेव बेस्ड प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो शीघ्र ही रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

उ.प्र. भू–सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–81 में यह व्यवस्था है कि प्राधिकरण सामान्य अथवा विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जो आदेश में विहित की जा सकेंगी, के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्यों (धारा–85 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) को जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

अतः मैं, मुकुल सिंहल, अध्यक्ष रेरा/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन रेरा में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्राधिकरणों/बोर्डों/मण्डलों से सम्बन्धित शिकायतों की अधिनियम तथा नियमावली तथा समय–समय पर जारी कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत निस्तारण हेतु प्राधिकृत करता है:–

	नामित अधिकारी	प्राधिकरण/बोर्ड/मण्डल
1	अध्यक्ष, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (R.E.R.A.)	हाउसिंग बोर्ड तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त समस्त शिकायतें।
2	सचिव भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (R.E.R.A.)	नोएडा/ग्रेटर नोएडा से समस्त शिकायतें तथा समस्त सक्षम प्राधिकारियों (Competent Authority) के विरूद्ध प्राप्त समस्त शिकायतें।
3	श्री राजेश कुमार पाण्डे, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र.शासन	विकास प्राधिकरण लखनऊ तथा लखनऊ, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल से सम्बन्धित समस्त शिकायतें (उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर)

4	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	सहारनपुर तथा मुरादाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
5	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण	आगरा मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
6	उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण	अलीगढ़ तथा मेरठ से प्राप्त समस्त शिकायतें।
7	उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	बरेली से प्राप्त समस्त शिकायतें।
8	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण	इलाहाबाद, झांसी तथा चित्रकूट मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
9	उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	वाराणसी तथा फैजाबाद मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।
10	उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण	आजमगढ़, गोरखपुर तथा मिर्जापुर मण्डल से प्राप्त समस्त शिकायतें।

शिकायतों के निस्तारण से सम्बन्धित व विस्तृत प्रक्रिया अलग से प्रेषित की जा रही है।

सभी सम्बन्धित अधिकारीगण रेरा (R.E.R.A.) द्वारा उनको प्रेषित शिकायतों का नियमानुसार निस्तारण निर्धारित समयावधि करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/प्रमुख सचिव

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित सूचनार्थ।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे अथारिटी।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

10.10.17

(मुकुल सिंहल)
अध्यक्ष रेरा/प्रमुख सचिव